न्याया

मतदान पर हमारी गाइड

भारतीय मतदान की जानकारी

न्याया

विषयसूची

01 **आप वोट कैसे कर सकते हैं?**

1-मतदान के दिन क्या होता है? 3
2-आप मतदाता सूची में अपना नाम कैसे सत्यापित कर सकते हैं? 4
3-आप मतदान केंद्र कैसे ढूंढ सकते हैं? 5
4-पोलिंग बूथ के अंदर 6
5-वोटिंग मशीन (ईवीएम) क्या है? 8

02 **लोकसभा चुनाव और राज्य चुनाव को समझें**

1-लोकसभा चुनाव क्या हैं? 9
2-राज्य चुनाव क्या हैं? 10
3-लोकसभा चुनाव में कौन मतदान कर सकता है? 11

03 **सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का मतदाता का अधिकार (नोटा) क्या है?** 12

04 **वोटर आईडी कार्ड**

1-आप वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान) के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? 13
2-आप वोटर आईडी कार्ड की जानकारी को कैसे बदल सकते हैं? 15
3-क्या आप वोटर आईडी कार्ड के बिना मतदान कर सकते हैं? 16
4-एनआरआई कैसे वोट कर सकते हैं? 17

05 **रिपोर्ट करें और शिकायत करें** 18

आप वोट कैसे कर सकते हैं?

मतदान के दिन क्या होता है?

मतदान के दिन की घोषणा

- मतदान की तारीखों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। मतदान की तारीखों की जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी दी जाती है।
- इसमें वे तारीख भी शामिल होती हैं, जिसमें आपके राज्य में मतदान होगा।
- जिस दिन आपके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होता है, उस दिन को कानूनी रूप से सवैतनिक छुट्टी घोषित की जाती है।

न्याया

आप मतदाता सूची में अपना नाम कैसे सत्यापित कर सकते हैं?

मतदान केंद्र पर जाने से पहले, आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपका नाम आपके निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची में है या नहीं:

ऑनलाइन

- एनवीएसपी की चुनावी खोज (Electoral Search) वेबसाइट पर जाएं
- जरूरी जानकारी भरें, जैसे-आपका नाम, उम्र, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र जहां आप रहते हैं।
- अगर आप मतदाता सूची में हैं, तो आपके ईपीआईसी नंबर के साथ आपकी जानकारी वेबसाइट द्वारा सत्यापित होंगी।

व्यक्तिगत रूप से (खुद से)

- 1950 नम्बर पर कॉल करें। इस कॉल पर उस कार्यालय की जानकारी मांग सकते हैं, जहां आपको चुनावी सूची में अपना नाम जांचना है। वे आपको सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज़ की भी जानकारी दे सकते हैं।

आप मतदान केंद्र कैसे ढूंढ सकते हैं?

- आमतौर पर मतदान केंद्र स्कूलों, सरकारी बिल्डिंग आदि जैसे स्थायी जगहों पर बनाए जाते हैं। लेकिन जगह उपलब्ध न होने पर इन्हें मतदान क्षेत्र के बाहर के निजी बिल्डिंग या जगहों में भी बनाया जा सकता है।
- आप मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपका मतदान केंद्र कहां है।

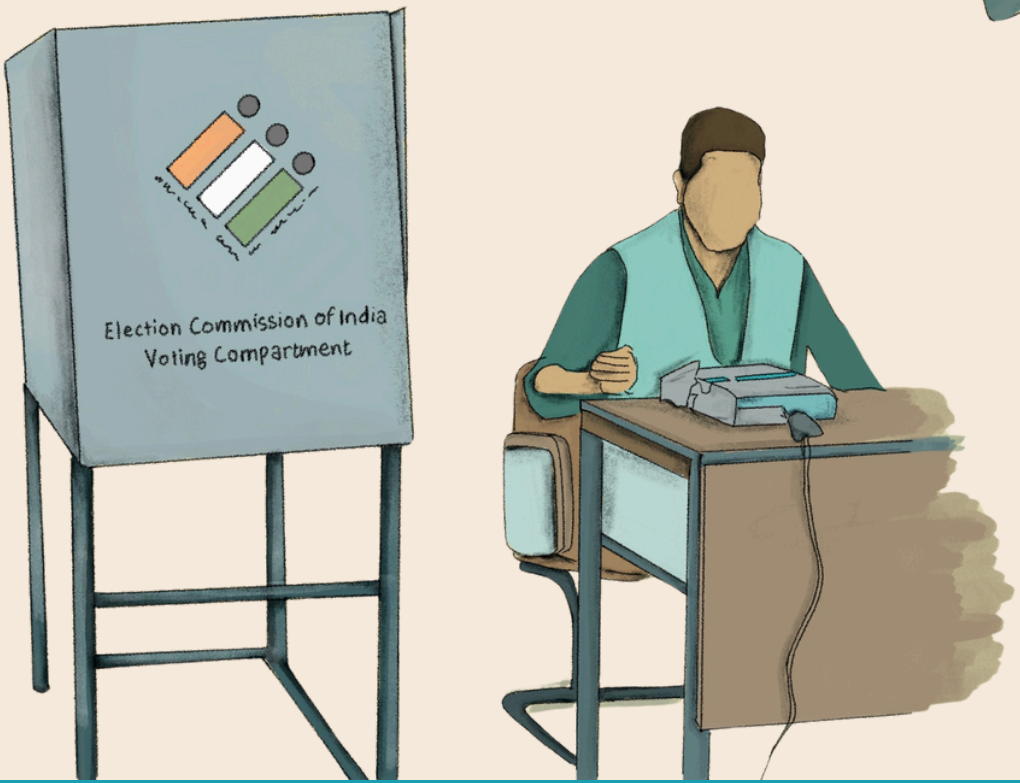

पोलिंग बूथ के अंदर

- जैसे ही आप मतदान केंद्र के अन्दर आएंगे, तो सबसे पहले मतदान अधिकारी यह देखेगा कि क्या आपके पास वैध आईडी है और आपका नाम मतदाता सूची में हैं।

- एक बार जब यह चेक हो जाएगा, तो दूसरा मतदान अधिकारी आपकी उलटे हाथ की उंगली (बायीं तर्जनी) पर स्याही का निशान लगा देगा। ऐसा इसलिए करते हैं, कि आपने मतदान कर लिया है और किसी व्यक्ति को कई बार मतदान करने की अनुमति नहीं है।

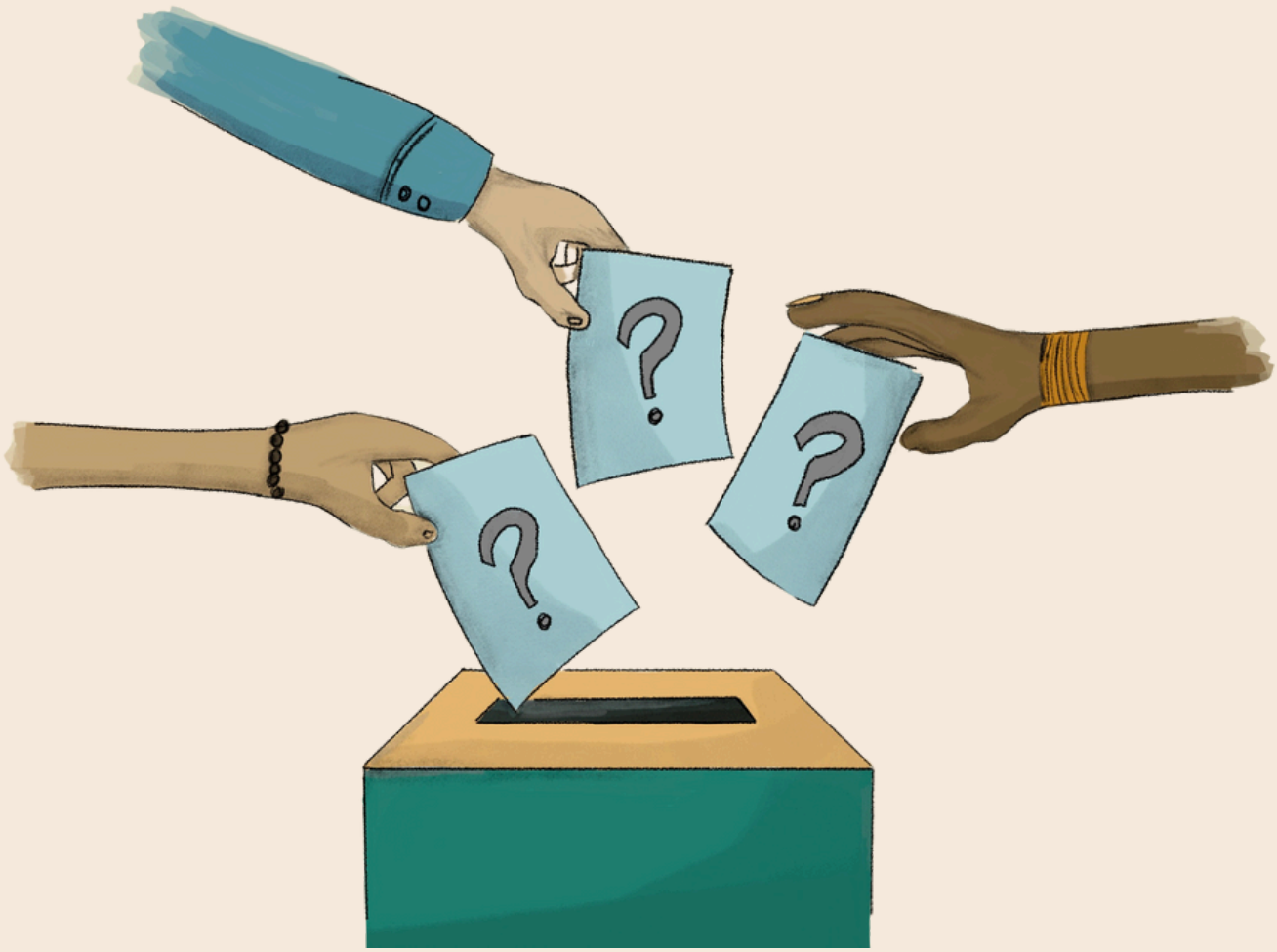

न्याया

भारत में रहने वाले मतदाता

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप दूसरे पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं। लेकिन केवल वे ही पहचान पत्र जिनमें आपके निर्वाचन क्षेत्र (जिस जगह पर आप वोट दे रहे हैं) का पता एक समान हो।

अधिकारी के काम

- फॉर्म 17ए में आपके वोटर आईडी नंबर का रिकॉर्ड बनाएंगे।
- आपको मतदाताओं के रजिस्टर नामक किताब में अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे।
- मतदाता सूची की एक प्रति पर आपका नाम लिखकर देंगे, जिसके बाद आप मतदान कर सकते हैं।

पोलिंग बूथ के अंदर

एक मतदाता के रूप में आप अपना मतदान ईवीएम मशीन (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का इस्तेमाल करके करेंगे।

वोटिंग मशीन (ईवीएम) क्या है?

एक ईवीएम मशीन में दो इकाइयाँ होती हैं - एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को वोटिंग डिब्बे के अंदर रखा जाता है, जहां आप मतदान करते हैं। पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी आपके लिए इसमें मतपत्र देता है, ताकि आप उसमें अपना वोट डाल सकें।

अगर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आपके पास ईवीएम मशीन में **नोटा** (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प चुनने का भी अधिकार है।

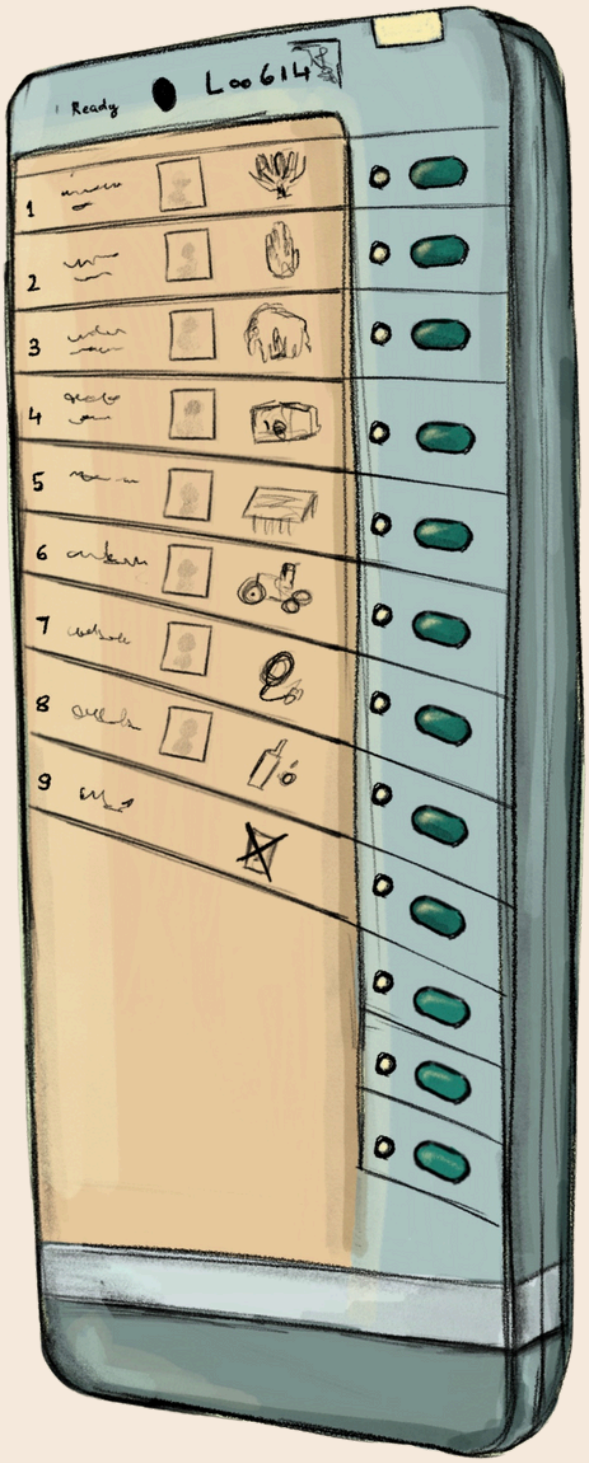

लोकसभा चुनाव और राज्य चुनाव

न्याया

लोकसभा चुनाव / आम चुनाव क्या हैं?

- लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

- लोकसभा चुनावों में चुने हुए प्रतिनिधि संसद के निचले सदन (लोक सभा) में 5 साल के लिए चुने जाते हैं।

- लोकसभा चुनाव यह भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनावों में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगी।

- लोकसभा में हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर देश में हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की जाती है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।

- लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है,यह वर्तमान में 543 सदस्यों से बनी है, जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य चुनाव क्या हैं?

- राज्य चुनावों के माध्यम से आप राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य ही राज्य स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद (उच्च सदन) हो या न हो, लेकिन विधानसभा (निचला सदन) हमेशा होती है।

- किसी राज्य के निचले सदन यानी विधानसभा के हर सदस्य को 5 साल के लिए चुना जाता है, और उच्च सदन यानी विधान परिषद के हर सदस्य को 6 साल के लिए चुना जाता है।

- राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग होती है। यह संख्या हर राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या पुडुचेरी की तुलना में काफी ज्यादा है।

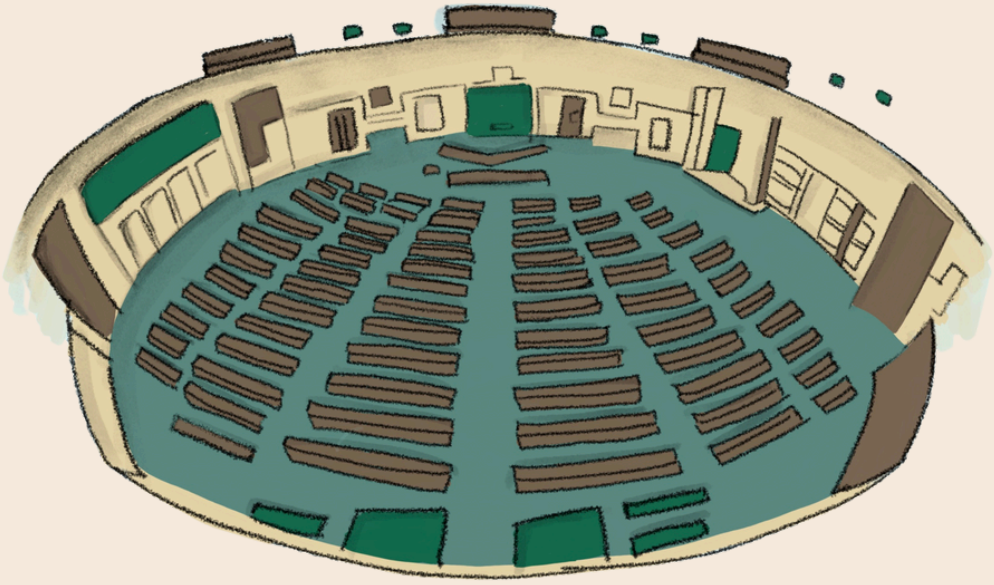

लोकसभा चुनाव में कौन मतदान कर सकता है?

18 साल या उससे अधिक उम्र के हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनावों में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। इसके लिए,आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होता है। मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जरूरी है कि-

- आप भारत के नागरिक हो
- आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो
- आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों
- आप नीचे बताए गए अपराधों को करने के लिए अदालत से दोषी नहीं ठहराए गए हो:
    - रिश्वत देने
    - किसी दूसरे के नाम पर मतदान देने
    - किसी को डरा धमका कर वोट देने से रोकने की कोशिश में
    - लोगों के बीच नफरत और हिंसा को भड़काने में
    - चुनाव प्रक्रियाओं को रोकने या उसे जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने में

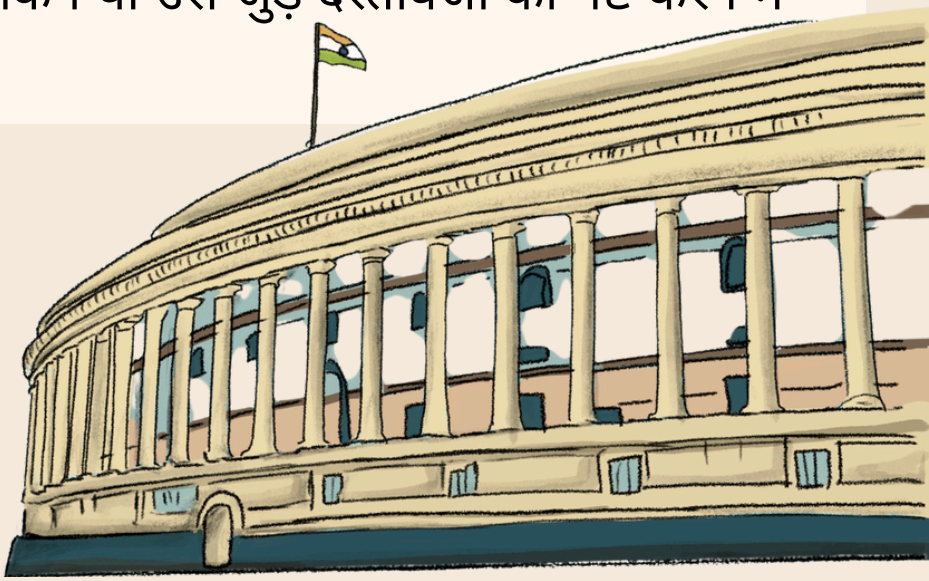

नोटा

सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का मतदाता का अधिकार (नोटा) क्या है?

उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) एक विकल्प है, जो मतदाताओं को वोट डालते समय दिया गया है। यह मतदाताओं को दिए गए सभी उम्मीदवारों में से किसी को नहीं चुनने का अधिकार देता है।

नोटा का विकल्प कहां होता है?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उम्मीदवारों की सूची के **आखिरी में** नोटा का विकल्प होता है।

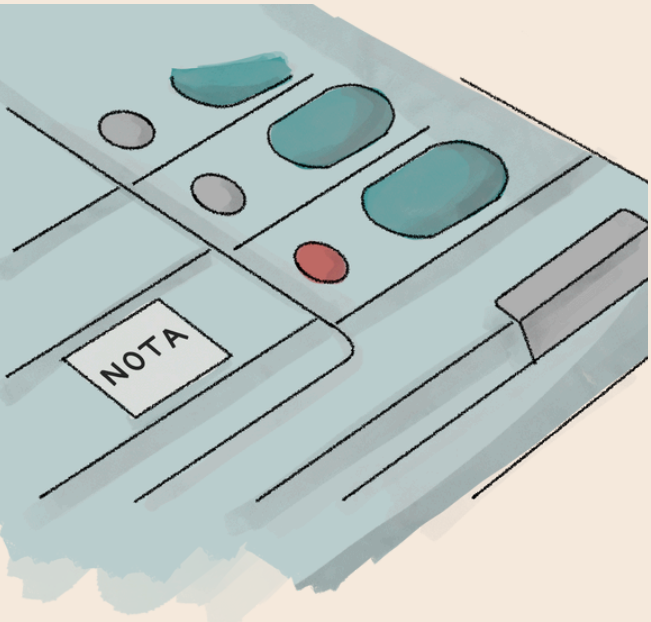

वोटर आईडी कार्ड

न्याया

आप वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान) के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?

- आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 6 भरकर मुफ्त में खुद से या ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। फॉर्म 6 भारत में मतदाता पंजीकरण करने का फॉर्म है।
- अगर आप फॉर्म में दी गई सभी बातों को पूरा करते हैं, तो आपका नाम 'मतदाता सूची' में जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची किसी भी एक खास निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नामों की एक सूची है।

चरण 1:
फॉर्म 6 भरें

फॉर्म 6 डाउनलोड करें, जो हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम में उपलब्ध है। फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन भरें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों से भी फॉर्म 6 ले सकते हैं। अगर आप एक दिव्यांग हैं, तो ऊपर बताए कार्यालय में मदद मिलेगी।

चरण 2:

जरूरी दस्तावेज़ शामिल करें

अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अपने दस्तावेजों खुद सत्यापित करना होगा। जरूरी दस्तावेज हैं:

- एक हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो
- आयु प्रमाण पत्र की कापी (जैसे जन्म प्रमाण पत्र,दसवीं और बारहवीं स्कूल प्रमाण पत्र)
- पते के प्रमाण की कॉपी (पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)

चरण 3:

फॉर्म जमा करें

- अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, तो आपको फॉर्म और दस्तावेज अपने मतदान केंद्र के बूथ स्तर के अधिकारी को जमा करना होगा। यहां पता लगा सकते हैं कि ये कार्यालय कहां हैं।
- अगर आपने फॉर्म 6 ऑनलाइन भरा है, तो आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी खुद से सत्यापित दस्तावेजों के साथ फॉर्म को डाक के माध्यम से भी कार्यालयों में भेज सकते हैं।

चरण 4:

वोटर आईडी कार्ड का इंतेजार करें

फॉर्म में दिए गई जानकारी को जांचने के लिए एक बूथ स्तर अधिकारी फॉर्म में दिए गए पते जाएगा। वोटर आईडी बनने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी इसे आपके पते पर भेज देगा या आपसे इसे निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय से लेने को कहेगा। इसके बाद आपका नाम 'मतदाता सूची' में जोड़ा जाएगा । यह सूची एक खास निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नामों की एक सूची है। आप ऑनलाइन भी अपना नाम इस सूची में चेक कर सकते हैं ।

आप वोटर आईडी कार्ड की जानकारी को कैसे बदल सकते हैं?

अपने वोटर कार्ड में आप केवल इन स्थितियों में बदलाव करा सकते हैं:

- अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम, फोटो, उम्र, पता, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या रिश्ते का प्रकार बदलना या सही करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। आप भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
- मकान बदलने के मामले में
- अगर आप अपना स्थायी निवास स्थान बदल रहे हैं, तो आपको अपना नाम मतदाता सूची में पिछले पते से कटवाकर नये पते में बदलना होगा। इसके बाद आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड लौटाकर उसकी जगह पर नया वोटर आईडी कार्ड जारी करने का अनुरोध करना होगा।
- ऐसा करने के लिए, आपको फॉर्म 8 भरना होगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाइन या खुद से जाकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में नया पता लिखा होना चाहिए। आपको इस फॉर्म के साथ बताए गए पते के प्रमाणपत्र की खुद से सत्यापित कॉपी भी संलग्न करनी होगी।

क्या आप वोटर आईडी कार्ड के बिना मतदान कर सकते हैं?

वोट डालने के लिए नीचे बताए गए किसी भी दस्तावेज़ को मतदान केंद्र पर ले जा सकते हैं:

- वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) / ईपीआईसी
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/ डाकघर द्वारा जारी अपनी फोटो लगी पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सेवा पहचान पत्र (जो केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किया हो)
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज़ (जिसमें आपका फोटो लगा हो)
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी हो)
- सांसदों/ विधायकों/ एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र

एनआरआई कैसे वोट कर सकते हैं?

अगर आप एनआरआई हैं, तो भी आपको भारत में वोट देने का अधिकार है। आप अपने पासपोर्ट में दिए गए पते के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।

- इसके लिए आपको फॉर्म 6ए भरना होगा। आप इस फॉर्म को चुनावी पंजीकरण कार्यालय से एक फॉर्म लेकर या चुनाव आयोग की वेबसाइट से इस फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करके व्यक्तिगत रूप से भर सकते हैं।
- **यह फॉर्म फ्री होगा,** इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है।

आपको नीचे बताए दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा:

- एक हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- पासपोर्ट की स्वप्रमाणित कॉपी जिनमें आपकी फोटो और भारत का पता हो।
- वीज़ा को वैध बताने वाले पासपोर्ट पेज की कॉपी

एनआरआई कैसे वोट कर सकते हैं?

फॉर्म जमा करना

- जब आप व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करते हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट और दूसरे ओरिजनल दस्तावेज अपने साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास ले जाने होते हैं। ताकि वह इन सब जानकारी को सत्यापित कर सके। अगर आप फॉर्म डाक से भेज रहे हैं, तो देखे लें कि सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हों और फॉर्म के साथ संलग्न हों।

सत्यापन

- एक बूथ लेवल अधिकारी आपके पासपोर्ट में दी गई सभी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए आपके पासपोर्ट में बताए घर के पते पर जाएगा। और अगर आपके निवास स्थान और दूसरी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी दस्तावेजों को भारतीय मिशन को भेज देगा।

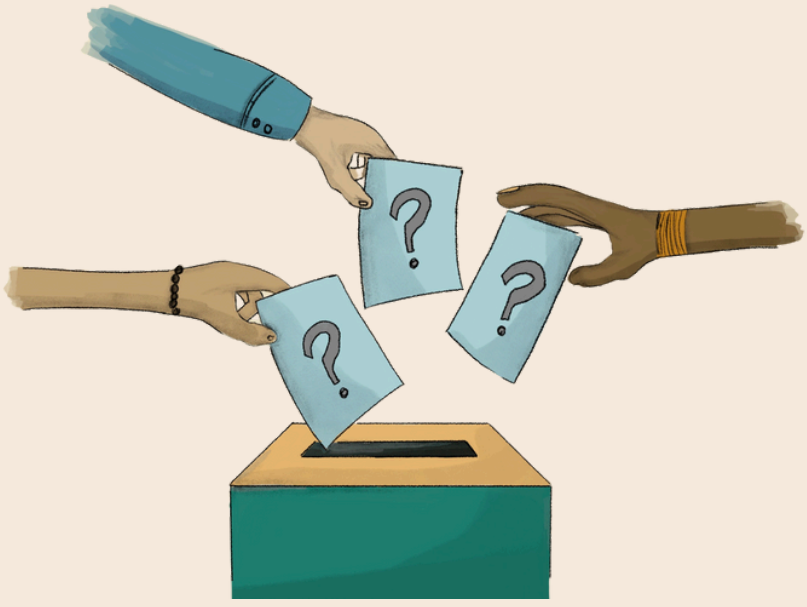

रिपोर्ट करें और शिकायत करें

अगर आपको अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों में कार्रवाई की कमी से जुड़ी कोई शिकायत है, तो चुनाव अधिकारियों से भी नीचे बताए तरीको से संपर्क कर सकते हैं:

अगर अधिकारी के पास जा रहे हैं
आप निर्वाचन क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र देकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप यहां से कार्यालय कहां हैं, ये पता लगा सकते हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट
चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल में आप सभी शिकायतें, सुझाव दर्ज कर सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं।

ईमेल
आप किसी भी सुझाव या शिकायत के बारे में ईमेल भेज कर सकते हैं और किसी भी जानकारी को जानने का अनुरोध भी कर सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप complaints@eci.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं । वहीं अगर आप एक विदेशी निर्वाचक हैं, तो आप overseas.elector@eci.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

रिपोर्ट करें और शिकायत करें

मोबाइल एप्लीकेशन
अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं, तो प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। इस मोबाइल ऐप में अब आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में ज्यादा समझने के लिए सी-विजिल मैनुअल देखें।

डाक से
आप निर्वाचन क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को डाक से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप यहां से कार्यालय कहां हैं, ये पता लगा सकते हैं।

न्याया